राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

एफ 12 (168)विविध/आयो/आकाशि 2022–01574
प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं रखरखाव किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– आयुक्तालय का पत्रांक एफ12(168)विविध/आयो/आकाशि/01574 का राजकाज संदर्भ संख्या 6937898 दिनांक 03.05.2024 एवं चीफ इंजीनियर एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र क्रमांक ACE(B)/**Buildingcell**/2024/D-2122, Jaipur, dated 01.05.2024/2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में लेख है कि अनियमित एवं गहन भूजल दोहन के कारण राज्य में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। भूजल अतिदोहन के कारण संवेदनशील एवं अतिदोहित श्रेणी की क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। भूजल स्त्रोतों में सुधार लाने हेतु निर्देशानुसार समस्त सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों के भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है।

भूजल स्तर में सुधार एवं भूजल पुनर्भरण हेतु रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सहज एवं प्रभावी तकनीक है। वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वर्षा जल का संचयन आतंरिक एवं बाह्य उपयोग के लिए एक सरल, टिकाऊ वैकल्पिक जल आपूर्ति प्रदान करता है। साथ ही, यह इमारतों से बड़ी मात्रा में पानी के बहाव के प्रभाव से जलमार्गों को भी बचाता है।

अतः भूजल स्तर में प्रभावी वृद्धि के लिए समस्त राजकीय महाविद्यालय भवनों पर मानसून पूर्व रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण करवाये जाने एवं पूर्व में बनी हुई संरचनाओं की मानूसन पूर्व सफाई व रखरखाव जिससे संरचना सही एवं प्रभावी तरीके से कार्य कर सके इसके लिये पूर्व में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया है। ऐसे महाविद्यालय जिनमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण करवाया जाना है, महाविद्यालय विकास समिति मद एवं विद्यार्थी निधि मद से नियमानुसार किया जावे।

ऐसे राजकीय महाविद्यालय जिनमें वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण पूर्व में हो चुका है उसके सही एवं प्रभावी तरीके से उपयोग के लिए मानसून से पूर्व सफाई/रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : संदर्भित पत्र

(पुखराज सेन)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

प्रतिलिपि :–

1 समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त की अनुपालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2 वेवसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

RajKaj Ref
7411265

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.05.23 11:18:32 IST
Reason: Approved

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CIRCULAR

1. The need for all-out efforts for water conservation through reduction, reuse and recycling in Rajasthan is imminent; and has been emphasized by Chief Secretary in a number of Senior Officer's Meetings, the most recent of which was held on 30/04/2024.
2. Accordingly, the following instructions are issued for guidance for all field Engineers in Public Works Department, Rajasthan in accordance with section 6(4)(a)/(b) of RTPP Act, 2012 read with rule 34 of RTPP Rules, 2013.
3. This circular shall apply to all NITs/ RFPs issued on or after 01/06/2024 in respect of all new government offices/ institutional buildings/ complexes and all new toilet blocks in such existing offices/ institutional buildings/ complexes. All NITs/ RFPs currently under process and being drafted in future shall, therefore, be amended accordingly, so that they conform to the instructions contains herein, when issued on or after 01/06/2024.
4. All such buildings/ blocks referred to in paragraph 3 above shall have aerator taps and wherever required, aerator baths (shower heads), so that air is mixed with water in sufficient proportion so as to conserve water.
5. All toilets flushing cistern in such buildings/blocks & new residential buildings shall be two-button flushes, so that water use is minimized.
6. All men's urinals in such buildings/blocks shall be of waterless category, so as to reduce water use. This condition of waterless urinals shall however be applicable only to new buildings/ blocks being constructed at District Headquarters or higher.
7. Where the size of the buildings/complex/block so permits, recycling of wash-basin water/ bath water shall be ensured, so that the same can be recycled and then reused in toilet flushes.

01/05/2024
(D.R. Meghwal)
Chief Engineer & Addl. Secy.
PWD, Rajasthan, Jaipur

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

एफ 12 (168)विविध/आयो/आकाशि 2022–01574

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय . – सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं रखरखाव किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05)जीडब्लयूडी/2015 दिनांक 17.06.2016 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देश की पालना के क्रम में उक्त निर्माण महाविद्यालय विकास समिति /छात्र निधि मद से नियमानुसार किया जावें।

ऐसे राजकीय महाविद्यालय जिनमें वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण पूर्व में हो चुका है उसके सही एवं प्रभावी तरीके से उपयोग के लिए मानसून से पूर्व सफाई /रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

प्रतिलिपि :–
1 समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त की अनुपालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2 वेवसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

RajKaj Ref
6937898

Signature valid
Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.05.03 09:37:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 12(156)विविध–स/आयो/आकाशि/16/278 दिनांक 25 जुलाई, 2016

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05) जीडब्लयूडी/2015 दिनांक 17.06.2016 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किये जाने के संबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देश की पालना करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

25/7/16
(डॉ.आर.एस.विजयवर्गीय)
संयुक्त निदेशक(आयोजना)

क्रमांकः एफ 12(156)विविध–स/आयो/आकाशि/16/279-81 दिनांकः जुलाई, 2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग को परिपत्र क्रमांक एफः 12 (05) जीडब्लयूडी/2015/ दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 10 (2) शिक्षा–3/2016/जयपुर, दिनांक 29.06.2016 के क्रम में।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

25/7/16
संयुक्त निदेशक (आयोजना)

राजस्थान सरकार
भूजल विभाग

क्रमांक F.12(5)/GWD/2015 दिनांक 1 7 JUN 2016

908
28.6.16

I.D. No. 696 /PS/CCE/
Dated 29-6-16

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / सचिव /
समस्त सभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर /
समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– **सरकारी भवनों में वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण किए जाने बाबत।**

JD(P&C)

2916

अनियमित एवं गहन भूजल दोहन के कारण राज्य का भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। भूजल अतिदोहन के कारण संवेदनशील एवं अतिदोहित श्रेणी की पंचायत समितियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान भूजल रिपोर्ट के अनुसार कुल 295 पंचायत समितियों में सें 204 पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत है।

अतः भूजल स्त्रातों में सुधार लाने हेतु समस्त सरकारी, निजी एवं औद्योगिक भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। इस बाबत पूर्व में अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भी परिपत्र संख्या 28–60 / सीजीडब्यूए / 2011 –1302 दिनांक 06.09.2011 द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके है। इस परिपत्र की पालना में राज्य सरकार के द्वारा भी एफ.12 (3) / भूजल / 2011 दिनांक 01.11.2011 को एक परिपत्र जारी किया गया । जिसके अनुसार सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करने हेतु एक्शन प्लॉन मय लागत तखमीना के तैयार कर प्रस्तुत किया जाना था।

2916

भूजल स्तर में सुधार एवं भूजल पुनर्भरण हेतु रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सहज एवं प्रभावी तकनीक है। पूर्व में भी राज्य भूजल विभाग के तकनीकी सहयोग से कुछ सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण किया जा चुका है। इस संरचना द्वारा वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण से भूजल स्तर में काफी सुधार पाया गया है। राजभवन जयपुर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाए जाने के पश्चात वर्ष 2010 से 2014 तक 4 से 5 मीटर भूजल स्तर में बढोतरी दर्ज की गई है।

इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होनें की संभवाना को देखते हुए मानसून पूर्व समस्त सरकारी भवनों में संबंधित विभाग द्वारा स्वंय के स्तर पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए। विभागों द्वारा उनके परिसर में पूर्व में बनी हुई संरचनाओं की मानूसन पूर्व सफाई करवायी जानी चाहिए, जिससे संरचना सही एवं प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।

नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश संख्या एफ.55 (4)पीए / एसई / डीएलबी / 10 / आरडब्यूलएच / 2081 --2277 दिनांक 07.05.2010 जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी आवश्यक

है। अतः समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा इस आदेश परिपत्र की पालना हेतु प्रयास किए जावे एवं इस बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावे।

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी व्यापक रूप से भूजल का दोहन कर उपयोग किया जा रहा है। अतः औद्योगिक इकाईयों द्वारा भी उनके उद्योग परिसर में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनायी जानी चाहिए।

राज्य भूजल विभाग की भूजल कृत्रिम पुनर्भरण एवं रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक में विशेषता है। अतः भूजल विभाग समस्त सरकारी विभागों को एवं सरकारी विभाग/निकायो को एवं अन्य सभी को उनकी मांग पर रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाये जाने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवायगा।

यह परिपत्र पूर्व मे जारी समस्त परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

(जे.सी.महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री महोदया, जन स्वा. अभि. एवं भूजल विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग (समस्त) को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में चर्चा कर, अनुमोदन के बाद आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

शासन सचिव,
भूजल विभाग

Type Design

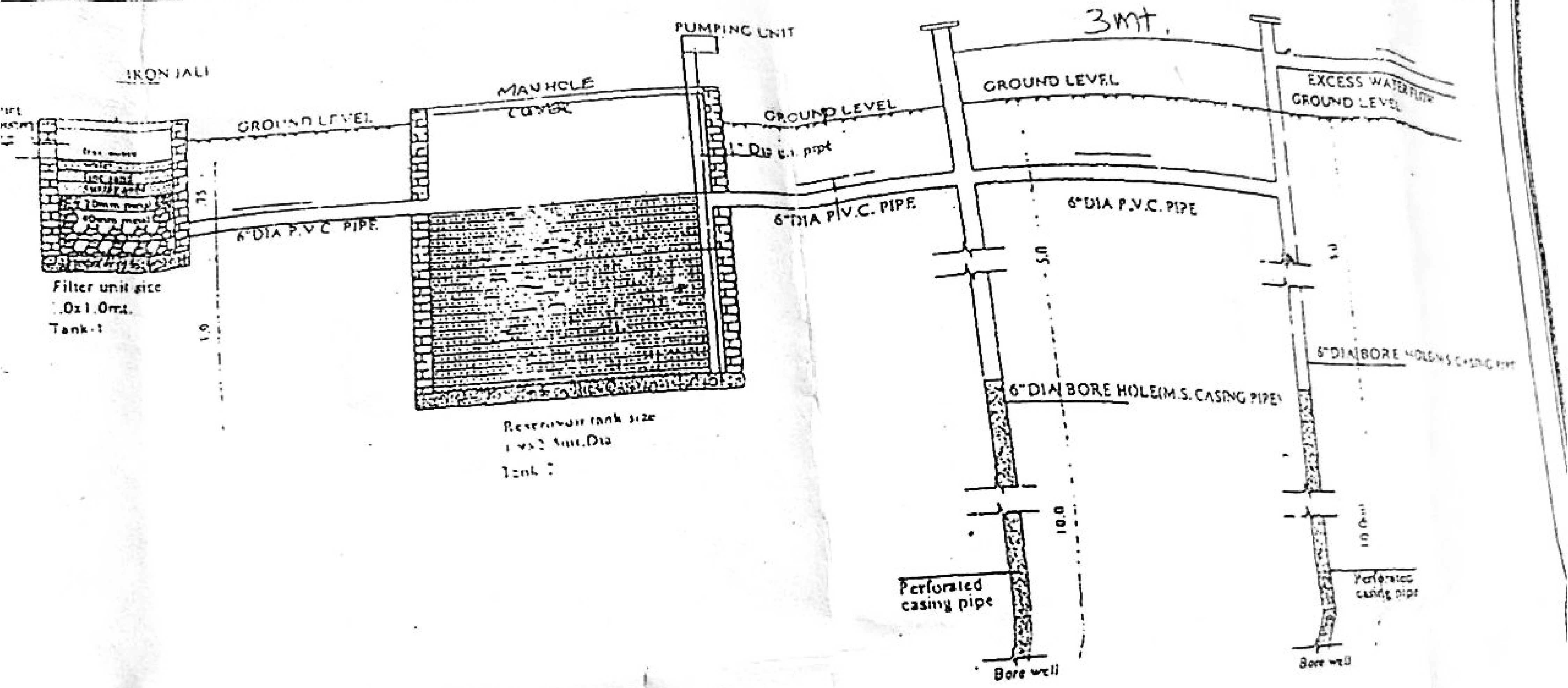

Secteon at AA.

(हितेश कुमार गुप्ता)
सहायक अभियन्ता